

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला मजिस्ट्रेट, वाडमेर मुकाम वाडमेर
प्राधिकृत अधिकारी, युनियन बैंक ऑफ़ अप्रार्थीगण मैसर्स वडेरा ट्रेडलिंग प्रा.
..... बनाम लि.
इण्डिया, शाखा आरिस्त वसूली प्रबन्धन जयपुर
किस्म मुकदमा नं. सन् ११/2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 SARFAESI अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-12-24	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल पूनड़ द्वारा यह प्रार्थना-पत्र धारा 14 SARFAESI अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मैसर्स वडेरा ट्रेडलिंग प्रा.लि. के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी बाकिदार के खाता को एनपीए घोषित करते हुए ऋण के पेटे रहन रखी गई बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश पूनड़ द्वारा प्रार्थना-पत्र के द्वारा प्रकरण में सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया।</p> <p>हमने दोनो पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि धारा 14 SARFAESI अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय में अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की निर्णय नजीर Balkrishna Rama Tarle Dread Thr LRS & Anr. Vs Phoenix ARC Private Limited & Ors. (Spl Leave Petition No. 16013 of 2022) प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया है कि जिला मजिस्ट्रेट को धारा 14 के तहत पृथक से नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, बैंक की ओर से ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस ऋणी को दिया गया है एवं प्रतिभूति आरिस्त उनके क्षेत्राधिकार में स्थित है, का ही समाधान करना है। प्रतिभूत साहूकार के बीच विवाद को निर्णीत नहीं करना है, पीड़ित पक्षकार सभी आपतियां वसूली अधिकरण के समक्ष उठा सकता है।</p>	


जिला मजिस्ट्रेट, वाडमेर



अधिवक्ता अप्रार्थी ने ऋण वसूली अधिकरण न्यायालय में उनकी ओर से दायर प्रकरण सं. 662/2024 में दिनांक 22.10.2024 व 05.11.2024 को पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष अपील विचाराधीन हैं तथा प्रार्थी बैंक की ओर से भी अधिवक्ता उपरिथत होकर पैरवी कर रहे हैं, ऐसे में अधिकरण में अपील विचाराधीन रहते हुए इस प्रार्थना-पत्र में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संलग्न प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ-पत्र के मजमून सं. 11 में अंकित हैं कि इस प्रार्थना-पत्र के अलावा अन्य कोई प्रकरण या अपील किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं हैं और न ही कोई स्थगन आदेश है। इसके अलावा अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के जवाब में भी प्रार्थी के अधिवक्ता ने ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के बारे में कोई तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष अप्रार्थीगण की ओर से दर्ज अपील विचाराधीन हैं तथा प्रार्थी की ओर से इसमें पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त हैं। ऐसे में इस अपील के विचाराधीन रहते हुए हस्तगत प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी द्वारा वर्णित सम्पत्ति के कब्जा सुपुर्दगी की कार्यवाही प्रवर्तनीय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रकट तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी उक्त अपील के निस्तारण उपरांत बन्धक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करना चाहे तो नये सिरे से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।


जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर